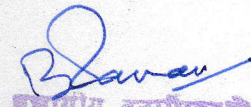


भाग-II
(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

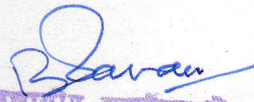
प्रस्ताव की राज्य क्र० सं०- -----

7. परियोजना /स्कीम का स्थान :

- जनपद अमेठी के अन्तर्गत लखनऊ-सुलतानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-731(पुराना एन.एच. संख्या-56) के किमी० 64.000 से 77.420 के मध्य दायी पटरी पर टोरेन्ट गैस प्राईवेट लि० द्वारा भूमिगत गैस पाइप लाइन बिछाने सम्बन्धी परियोजना में प्रभावित 0.6689 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी कार्य की अनुमति।
- उत्तर प्रदेश
अमेठी
अमेठी
0.6689 हे०
- (i) राज्य/संघ शासित प्रदेश
(ii) जिला
(iii) वन प्रभाग
(iv) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि क्षेत्र (हेक्टेयर में)
(v) वन की कानूनी स्थिति
(vi) हरियाली का घनत्व
(vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय)सिंचाई/जलीय परियोजना के सम्बन्ध में एफ.आर.एल.एफ.आर.एल.-2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल.-4 मी० में भी संलग्न किया जाय)
- संरक्षित वन
0.1
मौके पर प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि में 558 वृक्ष बाधक है, संलग्न है।
- (viii) भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।
(ix) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव, अभ्यारण्य, जीवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी कोरिडोर आदि का भाग है (यदि हों तो क्षेत्र का ब्यौरा तथा मुख्य वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाय)
(x) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणि जाति की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती हैं यदि हाँ/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।
(xi) क्या कोई सुरक्षित पुरातात्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महात्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो तो दें।
- यह भू-भाग भू-क्षरण की दृष्टि से संवेदनशील नहीं है।
नहीं।
नहीं।
नहीं।


बिभागीय वनाधिकारी
अमेठी वन प्रभाग
४

8. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में हॉ, प्रस्तावित वन भूमि परियोजना के लिए प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।
9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य नहीं। किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही रहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।
10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा
- प्रस्तावित क्षतिपूरक वनीकरण अमेठी वन प्रभाग की तिलोई रेन्ज के टिकरी वन ब्लॉक में किया जाना है।
- (i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अनाधिकृत वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या, प्रत्येक भूखण्ड का आकार। संलग्न है।
- (ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। संलग्न है।
- (iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों रहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि। संलग्न है।
- (iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय। संलग्न है।
- (v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्तान्तरित किया जाए) संलग्न है।
11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है। विशेषतः उपर्युक्त कालम 7(xi, xii) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)
12. विभाग/जिला प्रोफाइल
- (i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र 306300.00 हे०
- (ii) जिले का वन क्षेत्र 2050.188 हे०


 क्षेत्रीय वनाधिकारी
 अमेठी वन प्रभाग
 अमेठी

(iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर 79.094 हे० (10 मामले)
प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र

(iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल 285.08 हे०
प्रतिपूरक वनीकरण

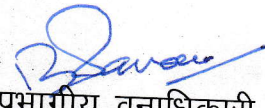
(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित —
वन भूमि

(ख) वनेत्तर भूमि पर

26.64 हे० क्षतिपूरक वनीकरण कराया गया
है।

13. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में
सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के
साथ विशेष सिफारिशें।

यह प्रस्ताव लखनऊ-सुलतानपुर राष्ट्रीय
राजमार्ग- 731(पुराना एन.एच. संख्या-56) के
किमी० 64.000 से 77.420 के मध्य दायी पटरी
पर टोरेन्ट गैस प्राईवेट लि० द्वारा भूमिगत गैस
पाइप लाइन बिछाने सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित है।
उक्त कार्य आवश्यक सेवाओं के अन्तर्गत है।
अतः उक्त कार्य हेतु प्रभावित संरक्षित वन भूमि
0.6698 हे० को गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति
हेतु संस्तुति की जाती है।


प्रभागीय वनाधिकारी
अमेठी
वन प्रभाग